न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर संभाग, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :– डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

आर्म्स अपील संख्या 09/2025

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट
गोविन्दराम पुत्र केसाराम निवासी– कृष्णापुरी, कबूतर चौक के पास, तहसील व जिला सिरोही।		जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 18 आयुध अधिनियम 1959 विरूद्ध आदेश जो जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के द्वारा क्रमांक प. 21 (1)() न्याय/ 2022/1863 दिनाक 23.6.2023 को पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री भरतसिंह राठौड़, विद्वान अधिवक्ता, अपीलाण्ट की ओर से।
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेण्ट की ओर से।

:: **निर्णय** ::

दिनांकः– 29 सितम्बर, 2025

1. अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ कार्यालय जिला कलेक्टर, सिरोही के आदेश क्रमांक प. 21(1)()न्याय/ 2022/1863 दिनाक 23.6.2023 के द्वारा अपीलान्ट नवीन शस्त्र पिस्टल/ रिवाल्वर गन हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करने बाबत प्रस्तुत किये गये आवेदन दिनांक 11.10.2022 को खारिज कर संचित कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील दिनांक 31.7.2023 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। बहस उभयपक्षकारान् की सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट मूल रूप से सिरोही का निवासी है और अपीलान्ट खेलों में रूचि रखने के कारण प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेता रहा है। अपीलान्ट ने गरीब परिवार से होने के कारण रोजगार के लिये प्राईवेट कम्पनी में पीएसओ के रूप में कार्य करना प्रारम्भ किया तथा प्राईवेट कम्पनियों में रोजगार करता आ रहा है। अपीलान्ट के पास शस्त्र अनुज्ञापत्र नहीं होने से उसे कम सैलेरी मिलती है। अपीलान्ट ने शस्त्रधारी पीएसओं के लिये शस्त्र रखा

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

जाना आवश्यक होने के कारण अपीलान्ट के द्वारा अनुज्ञापन अधिकारी के समक्ष आवेदन किया गया। अपीलान्ट के आवेदन पर अनुज्ञाप्ति अधिकारी के द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों से आवश्यक रिपोर्ट मंगवाई गई। जिला पुलिस अधीक्षक, सिरोही, उप वनसरंक्षक सिरोही, तहसीलदार सिरोही, पुलिस अधीक्षक सीआईडी (सुरक्षा) राज्य विशेष शाखा, जयपुर इत्यादि को रिपोर्ट भिवजाने हेतु लिखा गया। उपरोक्त विभागों से अपीलार्थी के पक्ष में सकारात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई। लेकिन पुलिस अधीक्षक सिरोही के द्वारा "प्रार्थी को किसी से खतरा नहीं है, ऐसी कोई रिपोर्ट थाने में प्राप्त नहीं हुई है। पीएसओ की नौकरी के लिये शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करना उचित नहीं है। अपीलार्थी को निकट भविष्य में जान का खतरा नहीं है जिस कारण से अनुज्ञा जारी करना उचित नहीं है, " रिपोर्ट प्रेषित की गई। मात्र जिला पुलिस अधीक्षक सिरोही की रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही ने अपीलान्ट के उक्त आवेदन को संचित करने का आदेश दिनांक 23.6.2023 को पारित कर दिया गया, जो निरस्त करने योग्य है।

3. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी अभिकथन किया कि जिला कलेक्टर कार्यालय के द्वारा आर्म्स अधिनियम एवं समय–समय पर संशोधित नियमों को नजरअंदाज करते हुए आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है और न ही किसी प्रकार का स्पष्टीकरण आदि चाहा गया था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से विधि के सुस्थापित प्रावधानों के विरूद्ध यह आलौच्य आदेश पारित किया है जो निरस्त करने योग्य है। जिला पुलिस अधीक्षक सिरोही द्वारा गलत रिपोर्ट प्रेषित की गई क्योंकि अपीलार्थी के विरूद्ध कभी शान्ति भंग करने पर पाबन्दी करने की कार्यवाही नहीं की गई थी। विधि के प्रावधानों में जन कल्याण निहित होता है ऐसे में व्यवसाय व रोजगार में विधि के प्रावधान बाधक बने तो उन्हें लोक कल्याणकारी नहीं कहा जा सकता है। अधीनस्थ कार्यालय ने अपीलान्ट के शस्त्र लाईसेन्स को खारिज कर उसको रोजगार विहीन करने का कार्य किया है।

4. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अधीनस्थ कार्यालय के द्वारा अपीलान्ट के आवेदन को खारिज कर दिये जाने के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गई। अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी होने पर उसके द्वारा दिनांक 6.7.2023 को आवेदन

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रस्तुत करते हुए दिनांक 20.7.2023 को नकल प्राप्त की गई। तत्पश्चात अधिवक्ता से सम्पर्क करते हुए यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

5. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि आर्म्स अधिनियम की धारा 14 में शस्त्र लाईसेन्स देने से इन्कार करने के कारणों का उल्लेखित किया है। ऐसे में अपीलान्ट के आवेदन को निरस्त करने का जो कारण अपीलाधीन आदेश में उल्लेख किया गया है, वह उन कारणों में नहीं आता है। अपीलान्ट किसी भी प्रकार से हिंसा तथा नैतिक दुराचरण में सम्मिलित नहीं रहा है तो उसे अनुज्ञप्ति देने से मना कैसे किया जा सकता है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलाधीन आदेश को अपास्त करते हुए अपीलान्ट को अनुज्ञप्ति जारी करने का आदेश प्रदान करावें। अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त एआईआर, 2015 उत्तराखण्ड पृष्ठ 123, सीआरएलजे, 3178 केरला का हवाला दिया गया।

6. प्रत्युतर में दौराने सुनवाई विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर, सिरोही के द्वारा अपीलान्ट को नवीन शस्त्र हेतु अनुज्ञापत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन 11.10.2022 को सम्बन्धित अधिकारियों से जॉच कराई जाने पर अपीलान्ट को किसी प्रकार का खतरा नहीं होना पाये जाने तथा न ही अपीलान्ट के द्वारा खतरे के सम्बन्ध में किसी प्रकार की पुलिस थाने में रिपोर्ट करवाई गई। पीएसओ की नौकरी के लिये अनुज्ञापत्र जारी किया जाना उचित नहीं बताया गया। अतः नवीन हथियार लाईसेन्स जारी किये जाने के आवेदन पत्र दिनांक 11.10.2022 को खारिज किया जाकर संचित किये जाने जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2023 को पारित किया गया है, वो विधि के अनुकूल एवं उचित होने से यथावत रखा जावे एवं अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें।

7. हमने उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा की गई बहस पर चिन्तन एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय/कार्यालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया जिससे यह पाया गया है कि अपीलान्ट द्वारा शस्त्र अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु यह कथन किया गया था कि अपीलान्ट खेलों में रूचि रखता है तथा प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेता रहा है। अपीलान्ट गरीब परिवार से होने के कारण रोजगार के लिये प्राईवेट कम्पनी में पीएसओ के रूप में कार्य करता आ रहा है। अपीलान्ट के पास शस्त्र अनुज्ञापत्र नहीं होने से उसे कम सैलेरी मिलती है। अपीलान्ट ने शस्त्रधारी पीएसओ के लिये शस्त्र रखा

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

जाना आवश्यक होने के कारण इसी आधार पर अनुज्ञापन अधिकारी के समक्ष आवेदन किया गया था। उनके आवेदन के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक सिरोही के द्वारा "प्रार्थी को किसी से खतरा नहीं है, ऐसी कोई रिपोर्ट थाने में प्राप्त नहीं हुई है। पीएसओ की नौकरी के लिये शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करना उचित नहीं है। अपीलार्थी को निकट भविष्य में जान का खतरा नहीं है जिस कारण से अनुज्ञा जारी करना उचित नहीं है" सम्बन्धी रिपोर्ट दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के द्वारा पुलिस अधीक्षक सिरोही की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट का आवेदन खारिज करते हुए संचित कर दिया है।

8. अपीलान्ट ने शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु जो कथन उल्लेखित किये है यानि पीएसओ की नौकरी हेतु शस्त्र रखा जाना आवश्यक है, इस कारण से उन्हें शस्त्र क्रय करने हेतु अनुज्ञा पत्र जारी किया जावें, मात्र पीएसओ की नौकरी प्राप्त करने हेतु/रोजगार हेतु शस्त्र क्रय करने की अनुमति दिया जाना/ अनुज्ञा पत्र जारी किया जाना आयुध अधिनियमों के तहत उचित नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसे में हमारे विनम्र मत में जिला मजिस्ट्रेट सिरोही के द्वारा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने सम्बन्धी आवेदन दिनांक 11.10.2022 को खारिज कर संचित कर दिये जाने बाबत जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2023 पारित किया गया है वह पूर्ण रूप से उचित एवं विधि के अनुकूल पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2023 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 29 सितम्बर, 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर